राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./जॉब चार्ट/2017/4313 जयपुर,दिनांकः 16/11/17

:: परिपत्र ::

विषय :– पंचायत प्रसार अधिकारियों को पंचायत क्लस्टर्स/सर्किल बना स्थापित करने व तद्नुसार संशोधित जॉब चार्ट जारी करने बाबत!

वर्तमान में राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रसार अधिकारी के कुल 2376 पद हैं। इन पदों का आवंटन निम्न प्रकार हैः–

	कार्यालय	कुल सृजित पदो	विशेष विवरण
1	संभागीय आयुक्त कार्यालय	7	प्रत्येक कार्यालय में – 1
2	जिला कलेक्ट्रेट	66	प्रत्येक कार्यालय में – 2
3	जिला परिषद	198	प्रत्येक कार्यालय में – 6
4	पंचायत समिति	2105	प्रत्येक 4.7 ग्राम पंचायत पर– 1
	कुल	2376	

वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत अन्तिम कड़ी है तथा उसके बाद सीधे पंचायत समिति हैं। एक पंचायत समिति में औसतन 33–35 ग्राम पंचायतें आ रही है। विकास अधिकारी के पद पर अनेकानेक योजनाओं के संचालन का दायित्व हैं। अतः उन्हें फील्ड में भ्रमण का बहुत कम समय मिलता हैं। दूसरी ओर पंचायत समितियों में 6 से 8 तक पंचायत प्रसार अधिकारी हैं जो सीधे नेतृत्व प्रदान नहीं कर केवल शिकायतों की जाँच एवं योजनाओं के प्रभारी के रूप तक ही सीमित हैं। अतः उनकी सेवाओं का और बेहतर उपयोग करने के लिए विचार करना अब सामयिक हैं।

राजस्व विभाग में गिरदावर के रूप में पटवार मण्डल व तहसील के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पुराने समय से कार्यरत हैं। इसी तर्ज पर पंचायत प्रसार अधिकारियों को भी ग्राम पंचायतों के सर्किल बनाकर उनका प्रभारी बनाया जाकर विकास योजनाओं को और गति, पंचायत स्तरीय कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन एवं फील्ड का बेहतर पर्यवेक्षण करवाने पर विचार किया जा सकता हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न योजनाऐं चल रही हैं तथा प्रत्येक पंचायत में औसतन 80 लाख से एक करोड़ रूपये तक की राशि भेजी जा रही हैं। पंचायतों के सर्किल/क्लस्टर बनाने व पंचायत प्रसार अधिकारियों को उनमें प्रभारी बनाने से समस्त योजनाओं का बेहतर पर्यवेक्षण संभव होगा व पंचायत प्रसार अधिकारियों के अनुभव का लाभ फील्ड के कनिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा।

व्यवस्था का उद्देश्य, स्वरूप व संचालन इस प्रकार रहेगाः–

पंचायत प्रसार सर्किल/क्लस्टर का स्वरूप :

प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारी के ***स्वीकृत पदों की सीमा तक*** ग्राम पंचायत क्लस्टर्स का गठन किया जाये। ये क्लस्टर ***भौगोलिक निकटता (Contiguity)*** को ध्यान में रखकर बनाये जाये। पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतें इनमें सम्मिलित रहेंगी। ये ***क्लस्टर्स स्थाई होंगें*** तथा पंचायत राज विभाग की पूर्वानुमति के बिना इनमें कोई परिवर्तन पंचायत समिति / जिला परिषद स्तर पर अनुमत नहीं होगा। ये क्लस्टर्स ***यथा संभव गिरदावर सर्किल्स की भौगोलिक सीमाओं के अनुरूप*** रखने का प्रयास किया जाये ताकि राजस्व व पंचायती राज बेहतर तालमेल से कार्य कर सकें। यदि ऐसा करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो क्लस्टर गिरदावर सर्किल से भिन्न हो सकते हैं। पूर्व में J.En.s/JTAs के क्लस्टर भी अस्तित्व (Existence) में हैं। पंचायत प्रसार अधिकारियों व J.En.s के क्लस्टर को भी यथा संभव एक समान रखने का प्रयत्न किया जायें।

क्लस्टर मुख्यालय :

वर्तमान में पंचायत प्रसार अधिकारी ***पंचायत समिति में रहते हुए ही*** अपना–अपना क्लस्टर संभालेगें।

उद्देश्य :

(i) पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में मध्यक कड़ी के रूप में कार्य करना।
(ii) अनुभव अधिकारियों के नेतृत्व में विकास योजनाओं को गति प्रदान करना।
(iii) सूक्ष्म स्तर पर पर्यवेक्षण से बेहतर परिणाम प्राप्त करना।
(iv) फील्ड कार्मिकों का मार्गदर्शन

क्लस्टर गठन हेतु कार्यवाही :

जिले की सभी पंचायत समितियों की सभी पंचायतों के क्लस्टर तैयार करवाने का कार्य जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के सभी विकास अधिकारियों से उनकी संबंधित पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारियों के ***स्वीकृत पदों की सीमा*** तक भौगोलिक निकटता (Geographical Contiguity), गिरदावर सर्किल तथा J.Ens/JTAs के क्लस्टर्स को ध्यान में रखते हुए पंचायत प्रसार सर्किल/ क्लस्टर्स के प्रस्ताव तैयार करवायेगें। यह प्रस्ताव विकास अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.11.2017 तक तैयार किये जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पास भेजे जायेगें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने स्तर पर अपने जिले के सभी प्रस्तावों की गहनता से जाँच करवायेगें तथा अन्तिम प्रस्ताव दिनांक 25.12.2017 तक तैयार कर एक प्रति रेकार्ड हेतु पंचायती राज मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगें।

पंचायत प्रसार सर्किल/क्लस्टर की कार्यप्रणाली :

पंचायत समिति में क्लस्टर्स का गठन इस पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुरूप किया जाना है। वर्तमान में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारी स्वीकृत पदों से कम है। अतः एक पंचायत प्रसार अधिकारी को एकाधिक क्लस्टर का कार्यभार भी दिया जा सकेगा। शीघ्र ही पदोन्नतियां कर पंचायत प्रसार अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों के अनुरूप लाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्लस्टर्स के गठन के बाद विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को भेजी जाने वाली समस्त डाक संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जायेगी। पंचायत प्रसार अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अनुरूप जाँचे आवंटित की जायेगी।

पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति में तैनात रहकर अपने–अपने सर्किल/क्लस्टर में 10 दिवस प्रवास करेंगें।

पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा उन्हें आवंटित क्लस्टर की सभी पंचायतों का हर त्रैमास में विस्तृत निरीक्षण (Inspection) करना होगा तथा निरीक्षण में मुख्य ध्यान विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, राजकीय धन के सदुपयोग व सतत् पर्यवेक्षण पर होगा।

पंचायत समिति मुख्यालय पर पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति के कार्यो में पूर्ववत् सहयोग भी करेंगें।

अगर किसी क्लस्टर की पंचायतों का कार्य पिछड़ता है तो पंचायत कार्मिकों के साथ–साथ क्लस्टर के पंचायत प्रसार अधिकारी भी दायित्व निर्धारण किया जायेगा।

क्लस्टर व्यवस्था के दायित्वों सहित पंचायत प्रसार अधिकारियों का जॉब चार्ट इस प्रकार रहेगाः–

(A) **पंचायत समितियों में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारियों के कार्य/दायित्व :**

(i) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अन्य समस्त संबद्ध विभागों की समस्त विकास योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन में सहयोग।

(ii) क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतों का त्रैमासिक निरीक्षण।

(iii) क्लस्टर की ग्राम पंचायतों का माह में न्यूनतम 7 व अधिकतम 10 कार्यदिवसों पर भ्रमण।

(iv) ग्राम पंचायतों के कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों से सतत् सम्पर्क रख उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना व पंचायत समिति स्तर पर पंचायतों के लम्बित कार्यो का निस्तारण करवाना।

(v) अपने क्लस्टर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियमों/प्रावधानों से अवगत करवाना व प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vi) ग्राग पंचायतों को नये आय स्रोत ढूढने/स्थापित करने में मार्गदर्शन एवं सहयोग करना।

(vii) ग्राम पंचायत में विभिन्न संकर्मो का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण।

(viii) पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कड़ी की तरह काम करना।

(ix) राज्यादेशो/पंचायत समिति के निर्देशों का पंचायत स्तर पर अक्षरशः पालन एवं पंचायतों के पंचायत समिति स्तर पर लम्बित मुद्दों के त्वरित निरतारण को सुनिश्चित करना।

(x) पंचायत राज नियम,1996 के नियम 342 में वर्णित समस्त दायित्वों का पूर्ववत् निर्वहन।

(xi) राज्य, जिला, पंचायत समिति द्वारा आवंटित सभी प्राथमिक जाँचों का निस्तारण।

(xii) यथा संभव क्लस्टर की सभी/ अधिकाधिक ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में भाग लेना।

(xiii) उच्च स्तर से आवंटित सभी कार्यो/दायित्वों का निर्वहन।

(xiv) पंचायत समिति में विकास अधिकारी द्वारा आवंटित योजनाओं/ अन्य राजकीय दायित्वों का निर्वहन।

(B) <u>जिला परिषद पर कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारियों के कार्य/दायित्व</u> :

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी कार्यो/दिशा निर्देशों की पालना।

(ii) आवंटित प्राथमिक जाँचों का सम्पादन।

(iii) पंचायत शाखा में आवंटित समस्त कार्य।

(iv) विकास योजनाओं के प्रभारी/सहायक प्रभारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन।

कलक्ट्रेट एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारी के जॉब चार्ट में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिनि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
7. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाईल

15/11

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)